राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप-डी (चपरासी) भर्ती परीक्षा 2025 सिलबेस व परीक्षा स्कीम

परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम (Scheme & Syllabus of Examination):-

(1) कार्यालय चपरासी / समतुल्य पदों पर चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा, जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सम्मिलित है, जो कि क्रमशः 85 और 15 अंक होंगे।

(2) सामान्य लिखित परीक्षा 2 घण्टे अवधि की होगी जिसमें मैट्रिकुलेशन मानक (matriculation Standard) वस्तुनिष्ठ प्रकार-बहुविकल्पीय प्रश्न निम्नलिखित विषयों के होंगे

A. सामान्य हिन्दी

B. सामान्य अंग्रेजी

C. राजस्थानी संस्कृति एवं बोलिया

(3) लिखित परीक्षा में कुल 85 अंक (प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक) होंगे जिनमें सामान्य हिन्दी, राजस्थानी संस्कृति एवं बोलिया हेतु क्रमश 50. 10 एवं 25 प्रश्न हो सकेंगे। गलत उत्तर हेतु कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।

(4) लिखित परीक्षा ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

(5) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, कुल रिक्तियों (प्रवर्गवार) के तीन गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों और भूतपूर्व-सैनिकों को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 34 अंक और अन्य सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 38 अंक प्राप्त करने होंगे। भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के मामले में न्यूनतम अंकों में 5 प्रतिशत की अतिरिक्त शिथिलता प्रदान की जाएगी। लिखित परीक्षा में समान अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, आयु में बड़े अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

(6) साक्षात्कार, उम्मीदवार की समग्र उपयुक्तता को आंकलित करने के उद्देश्य से होगा।

(7) साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होने की दशा में, अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु अनुशंसा नहीं की जा सकेगी।

(8) चयन के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अंतिम चयन हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों और भूतपूर्व-सैनिकों को कुल अंक (लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार) में न्यूनतम 40 अंक और अन्य सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 अंक प्राप्त करने होंगे। भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के मामले में न्यूनतम अंकों में 5 प्रतिशत की अतिरिक्त शिथिलता प्रदान की जाएगी।

स्पष्टीकरणः-लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में समान कुल अंक लाने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, साक्षात्कार में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। साक्षात्कार में भी समान अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में आयु में बड़े अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम (Syllabus of Written Test) :-

General Hindi:

संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास, संधि, विलोम शब्द पर्यायवाची, काल, शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियों, समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, व्यंजन।

General English:

Tenses, Articles, Active & Passive Voice, Direct & Indirect Speech, Modals (Command, Request, Permission, Probability, Obligation), Synonyms, Antonyms, One word, Gender, Adjective, Verb, Editing & Omission, Arrangement of sentence, Complex & compound sentences, Vocabulary.

Rajasthani Culture and Dialects:

राजस्थानी लोकोक्तियां, राजस्थानी कहावतें, राजस्थानी मुहावरे, राजस्थानी बोलियां, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति, राजस्थानी पहनावा, वेशभूषा, राजस्थान के मेले, त्यौहार, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक व दर्शनीय स्थल, राजस्थान के मूर्धन्य कवि एवं साहित्यकार, राजस्थान के लोक देवी देवता, राजस्थान लोकगीत एवं लोक नृत्य।

Note: यह परीक्षा का सिलेबस राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप-D भर्ती परीक्षा 2019 के सिलेबस के अनुसार दिया गया हैं।